

D-6889 KCR

77

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25  
दक्षिण मार्ग  
सेक्टर 31 ए  
चण्डीगढ़-160030  
दिनांक 02.01.2017

फाईल नम्बर:-9-HRC001/2017-CHA  
सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
हरियाणा सरकार,  
C-18, वन भवन, सेक्टर 6,  
पंचकुला हरियाणा।

विषय:- Diversion of 13.51 ha of forest land in favour of sub Divisional Office, Water Service Sub Division, Pehowa for laying of RCC Pipeline 700 mm Dia NP-3 from Narwana Branch Rd 230983 to Saraswati Tirth, pahowa, R/s, under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana

संदर्भ:- 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6889/3436 दिनांक 04.01.17 महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वाणिज्यी उद्देश्य के लिए 13.51 ha hec. वन भूमि की मांग की गई है।

- 2 कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भेजने का कष्ट करें।
- A detailed violation report along with action taken by DFO under IFA against the violators and forest land broken be submitted;
  - Enumeration/ marking list of trees to be felled.
  - Proposed CA site be confirmed. Whether it is on RF Seonsar or Kanthala supply Canal RD 0-26 and Saraswati Sub Drain 0-9 L&R/s.
  - KML file of CA site alongwith site suitability certificate.
  - KML file of project site.
  - Approval of the project by competent authority.
  - Certificate under FRA, 2006 issued by Deputy Commissioner.
3. ऊपर की गई पूछताछ का जवाब जल्द भेजें ताकि इस प्रस्ताव पर अगली REC Meeting में चर्चा की जा सके।

भवदीय

(सोम दत्त शर्मा)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

- Divisional Forest Officer, Forest Division - & Distt. Kurukshetra Haryana.
- The Sub Divisional Officer, pehowa Water Service S, Divn. pehowa

पुं. 3823-24  
एक डी.ओ. of North Panchkula / DFO KCR को  
द्वितीय दिनांक 02.01.2017

Nodal Officer & Conservator of Forests (F)  
Haryana, Panchkula

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6889/

3436

दिनांक: 4-01-2017

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,  
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 13.51 ha. of forest land in favour of Sub Divisional Officer, W/S Sub Division, Pehowa for laying of RCC NP-3, 700mm Dia pipeline from Narwana Branch RD 230983 to Sarawati Tirth Pehowa, R/side, under forest division and District Kurukshetra Haryana..  
Online Proposal No. FP/HR/IRRIG/22593/2016

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकुला द्वारा Sub Divisional Officer, W/S Sub Division, Pehowa, Kurukshetra के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है जो कि सरकार के अनुमोदन उपरान्त आपको सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है । प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है । इस प्रस्ताव में 13.51 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 319 वृक्ष बाधक हैं जो कटवाए जाने हैं । इसके अतिरिक्त 600 पौधे भी नष्ट होंगे । यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है ।

प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार 20175294/- रुपये प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज, 814560/- रुपये अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज, 11983370/- रुपये नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व 157990/- रुपये फैंलिंग चार्जिज कुल 33131214/-रुपये की राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजैन्सी से केम्पा के लेखा में जमा करवाई जाएगी । इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से RF Seonsar में 27020 पौधे लगवाए जाएंगे । इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना की गई है अतः नॉरमल पैनल्टी लगाने की सिफारिश की जाती है ।

अतः उक्त प्रस्ताव की प्रति संलग्न भेजकर अनुरोध है कि इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे ।

संलग्न/उपरोक्त ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ०सी०)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।